हिमाचल प्रदेश सरकार
पंचायती राज विभाग।

संख्याः पीसीएच–एचए(1)2/2019– विभाजन/पुर्नगठनः 61934-940 दिनांक 3.10.2020

अधिसूचना

इस विभाग की अधिसूचना संख्या पीसीएच–एचए(1)2/2019–विभाजन/पुर्नगठनः 59924–930 दिनांक 17.09.2020 के अन्तर्गत, जिला शिमला में ग्राम सभा क्षेत्रों को विभाजित, पुर्नगठित और नए ग्राम सभा क्षेत्रों को गठित करने तथा ग्राम सभा क्षेत्रों की स्थापना हेतु प्रस्तावना द्वारा सम्बन्धित ग्राम सभा सदस्यों से आक्षेप एवं सुझाव आमन्त्रित किए गए थे तथा उपायुक्त शिमला को इस सम्बन्ध तें आक्षेप/सुझाव प्राप्त करने और उन पर विचार करने के उपरान्त अन्तिम सिफारिश प्रस्तुत करने के लिए प्राधिकृत किया गया था;

उपरोक्त अधिसूचना में निर्दिष्ट अवधि के भीतर प्राप्त आक्षेपों एंव सुझावों पर उपायुक्त जिला शिमला की सिफारिशों के दृष्टिगत, इस विभाग द्वारा जिला शिमला के निम्नलिखित ग्राम सभा क्षेत्रों के विभाजन, पुर्नगठन और नए ग्राम सभा क्षेत्रों की स्थापना से सम्बन्धित पूर्व में जारी अधिसूचनाओं के आंशिक संशोधन में, हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994 (वर्ष 1994 का अधिनियम संख्याक 4) की धारा 3 की उप–धाराओं (1) व (2) द्वारा प्रदत शक्तियों के अधीन, राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश, जिला शिमला के निम्न अनुसूची में वर्णित ग्राम सभा क्षेत्रों को विभाजित, पुर्नगठित कर उनके लिए, उपरोक्त अधिनियम की धारा 4 की उप–धारा (1) के प्रयोजन हेतु निम्न प्रकार से ग्राम सभा क्षेत्रों की स्थापना का सहर्ष आदेश प्रदान करते है।

राज्यपाल हिमाचल प्रदेश, उपरोक्त अधिनियम की धारा 3 की उप धारा (2–क) तथा धारा (3–क) के अधीन प्रदत शक्तियों के अन्तर्गत यह आदेश भी प्रदान करते है कि इस अधिसूचना के अन्तर्गत ग्राम सभा क्षेत्रों का विभाजन और पुर्नगठन विद्यमान पंचायतों के निर्वाचित पदाधिकारियों की पदावधि को प्रभावित नहीं करेगा।

क0 सं0	वर्तमान ग्राम सभा का नाम	कोष्ठ संख्या 2 में वर्णित ग्राम सभा के ग्रमों के नाम	नई ग्राम सभा तथा उसके मुख्यालय का नाम	कोष्ठ संख्या 4 में वर्णित ग्राम सभा में सम्मिलित होने बाले ग्रमों के नाम	को.ष्ठ संख्या 3 में बचे शेष ग्रामों के नाम जो वर्तमान ग्राम सभा में ही रहेंगें	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7
1	विकास खण्ड नारकण्डा					
	1 किरटी	1 केपु	दलान	1 दलान	1 केपु	
		2 भानाना		2 शावट	2 भानाना	
		3 किरटी			3 किरटी	
		4 घराल			4 घराल	
		5 दलान			5 सैंज पराणु	
		6 शावट			6 नंजा	
		7 सैंज पराणु				
		8 नंजा				

2	विकास खण्ड ठियोग					
	सन्धु	1 पडोग	गवाई स्थित देवीमोड	1 भलेच–1	1 पडोग	
		2 जनौल		2 भलेच–2	2 जनौल	
		3 रूनकली गौधन		3 जंगल भलेच	3 रूनकली गौधन	
		4 बनबाग		4 जदेवग	4 बनबाग	
		5 गवाई		5 सनाणा	5 रूनकली दिगर	
		6 रूनकली दिगर		6 गवाई	6 कथाल	
		7 कथाल		7 जंगल निर्गुणी	7 बिशडी	
		8 जदेवग			8 बडावग	
		9 सनाणा			9 उप महाल टिर	
		10 भलेच–1			10 जंगल कनाग	
		11 भलेच–2			11 बगो सनधु	
		12 जंगल निर्गुणी			12 डकाणा	
		13 जंगल भलेच				
		14 बिशडी				
		15 बडावग				
		16 उप महाल टिर				
		17 जंगल कनाग				
		18 बगो सनधु				
		19 डकाणा				

आदेश द्वारा
सचिव (पचांयती राज)
हिमाचल प्रदेश सरकार।

पृ0 संख्याः उपरोक्त– 61934-960 दिनांक 3.10.2020

प्रतिलिपियां सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतुः

1. उपायुक्त शिमला, जिला शिमला हिमाचल प्रदेश ।
2. सचिव राज्य निर्वाचन आयोग, हिमाचल प्रदेश, शिमला–2.
3. जिला पचांयत अधिकारी शिमला, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश।
4. सम्बन्धित खण्ड विकास अधिकारी, जिला शिमला हि0प्र0.।
5. सम्बन्धित प्रधान/सचिव ग्राम पचांयत जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश को दो अतिरिक्त प्रतियों सहित।

संयुक्त सचिव (पचांयती राज)
हिमाचल प्रदेश सरकार।